

15/18

पगावली डाक कंपनी कोर्ट भोंकसास में पेश हुई। प्रकार में सू. वि. सं. पटवारी हत्या के साथ मेरे स्वयं द्वारा भोंका विरीशक किया गया। भोंका विरीशक के अनुसार ग्राम भोंकसास की नरहड में स्थित पार्सी की खातेदारी कृषि ग्राम सं. न. 432 में आने वाले हेतु सं. न. 418, 429, 430 के ठामवा अन्य वैकालिक निकलता दूरी कास्ता सं. न. 430 में होता हुआ जो कि भोंके पर चम रहा चमता सं. न. 2095/417 तक है। क्लेम शुदा रास्ता सं. न. 418 429, 430 तक की लम्बाई लगभग 146 मी. पड़ती है। जबकि अन्य वैकालिक रास्ता सं. न. 430 में से होता हुआ भोंके पर चम रहे रास्ता सं. न. 2095/417 तक की लम्बाई लगभग 136 मी. - पड़ती है। सं. न. 2095/417 से आगे रास्ता सड़क भोंकसास - रवेड में जाकर मिलता है। वर्तमान में पार्सी की कृषि ग्राम में भोंके पर सं. न. 2095/ से होकर सं. न. 430 में से होकर ही आया जाही चालू है। इसके ठामवा सं. न. 432 में आने वाले के लिए सं. न. 421, 422, 419, 424, 429, 427, 430 की सीमाओं होते हुए पगाडंडी रास्ता जाता है इस पगाडंडी रास्ता के भी ठामवा होता है। पार्सी की कृषि ग्राम में क्लेम शुदा रास्ते के ठामवा भोंके पर वैकालिक रास्ता सं. न. सं. न. 430/ पगाडंडी रास्ता भोंकसास है।

पगावली का सं. न. उपलब्ध दस्तावेजों का दृष्टांतपूर्वक अपलोका किया गया तथा प्रकार में मेरे स्वयं द्वारा भोंका विरीशक करने पर पाया गया कि पार्सी की कृषि ग्राम सं. न. 432 में आयागमन हेतु क्लेम शुदा रास्ते के ठामवा अन्य लघु लघु वैकालिक रास्ता भोंकसास है तथा चालू है। इसके ठामवा सं. न. अन्य पगाडंडी रास्ता भी भोंकसास है जो चालू है। धारा 251(क) के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार को उसकी सुविधा के अनुसार नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त विवेचन से प्रकृत पार्शना पर साबित नहीं होने के कारण किया जाता है। पगाडंडी रास्ता भोंके पर बंदस्तुर चालू रहेगा। पगावली क्लेम शुदा रास्ते के ठामवा सं. न. सं. न. 430/ पगाडंडी रास्ता भोंकसास है।